न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 04 / 23

अश्वनी कुमार शर्मा निवासी Plot No 444, Surjawala, Bhatawala Dairy Scheme Vatika Road, Sanganer, Jaipur.

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 07.02.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट अश्वनी कुमार शर्मा निवासी Ploy No 444, Surjawala, Bhatawala Dairy Scheme Vatika Road, Sanganer, Jaipur. की अपील लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है। कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 2023 / 107 दिनांक 27.01.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर के पत्रांक रसद / आरटीआई / 23 / 143 दिनांक 03.02.2023 से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया। अपील में जबाब का अवलोकन किया गया अपीलान्ट का कहना है कि उसको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब से यह स्पष्ट है कि उनके (प्रार्थी) द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित राशन कार्ड नं0 अंकित नहीं किये जाने से सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। जिसकी जानकारी (सूचना) जरिये पत्रांक रसद / आरटीआई / 22 / 129 दिनांक 30.11.2022 से प्रार्थी को दी जा चुकी है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि उनके स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न) प्रेषित की जावे।, इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर

दिनांक